# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।

क्रमांक.एफ–4/मु./याता/लेखा (105–ए)/2018/2060 दिनांकः– 17/04/2018

## कार्यालय–आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गयी बजट घोषणा वर्ष 2018–2019 के बिन्दु संख्या 26 की पालना के सम्बन्ध में संयुक्त शासन सचिव (परिवहन), परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.17(2) परि/2018/जयपुर दिनांक 13.04.2018 से वित्त विभाग की आई.डी संख्या 161800491 दिनांक 09.04.2018 के अनुसरण में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश की अनुपालना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी प्रकार की वाहनों में (राजस्थान राज्य सीमा तक ) 80 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों (महिलाओं/पुरूषों) को मुफ्त यात्रा सुविधा के साथ ही उनके एक सहयोगी को 50 प्रतिशत की रियायती दर पर यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है ।

पत्रक वितरक/परिचालक इन्हें निःशुल्क/रियायती यात्रा टिकिट RFID कार्ड के माध्यम से जारी कर सकेगें। परिचालक E.T.I.M. (Electronic Ticket Issuing Machine) से टिकिट जारी करेगें तथा E.T.I.M. (Electronic Ticket Issuing Machine) के किन्ही कारणों से क्रियाशील नहीं होने पर निःशुल्क/रियायती टिकिट बुक से टिकिट जारी की जावेगी तथा टिकिट पर " निःशुल्क वरिष्ठ नागरिक यात्री" एवम् दिनांक अंकित किया जाना आवश्यक होगा। इनकी निःशुल्क यात्रा के लिये टिकिट जारी करने के सम्वन्ध में निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. उक्त वर्णित रियायत/छूट प्राप्त करने वाले 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक (महिला/पुरूष) को यात्रा के लिये पूर्व में दी जा रही निर्धारित छूट देय नही होगी ।
2. रियायती यात्रा पर निगम पर पडने वाले वित्तीय भार की गणना पूर्वानुसार आदेश संख्या एफ–4/मु./याता/लेखा/2011/1335 दिनांक 7.6.2011 के अनुसार की जावेगी ।
3. सहयोगी महिला/पुरूष नागरिक को देय 50 प्रतिशत रियायत अथवा अन्य स्वीकृत श्रेणी में देय रियायत दोनों में से कोई एक रियायत ही देय होगी ।
4. RFID कार्ड बनाने हेतु इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा(105)/2012/1191 दिनांक 18.12.2012 अनुसार आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे । इनकी पालना सुनिश्चित की जावें ।

(कुलदीप रांका )
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः– एफ–4/मु0/याता./लेखा(105–ए)/2018/2060 दिनांकः– 17.04.2018
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार,, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, राजस्थान सरकार,, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
4. संयुक्त शासन सचिव (परिवहन), परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्रांक एफ. 17(2)परि/2018/ जयपुर दिनांक 13.04.2018 के कम में।
5. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
6. उप महा प्रबन्धक(सांख्यिकी)/(आई.टी.), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निःशुल्क/रियायती सुविधा के लिये E.T.I.M./Computer Program में टिकिट जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं इस आदेश को निगम वेबसाईट पर भी उपलब्ध करावें तथा मासिक वित्तीय भार की सूचना में इसे अलग से दर्शायें ।
7. निगम सचिव/ कार्यकारी प्रबन्धक ( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
8. कार्यकारी प्रबन्धक(जन सम्पर्क), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बंध में आवश्यक प्रचार–प्रसार करावें ।
9. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम (टिकिट), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
10. समस्त मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम, .......................... आगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क/रियायती टिकिटों के सम्बन्ध में प्रकिया एवं रिकार्ड संधारण से सम्बन्धित कार्यवाही की जावे तथा समस्त निरीक्षकों/परिचालकों एवम् सभी सम्बन्धितों को इस सम्वन्ध में निर्देश प्रदान करते हुये उक्तानुसार निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधा देना सुनिश्चित करेंगे, उक्त सूचना संकलित कर निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधा से निगम पर पडने वाले वित्तीय भार की सूचना उप महा प्रबन्धक(सांख्यिकी), मुख्यालय, जयपुर को आवश्यक रूप से प्रतिमाह भेजना सुनिश्चित करे ।

(यू.डी.खान)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)
17/4/18

Scanned by CamScanner